



11 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11

E-Mail:- dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone No :- 01372-252175

पत्रांक: 5044

/ 12-1

दिनांक, गोपेश्वर, अप्रैल 23 /2026

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय:-

जनपद चमोली में सिमली से नाखोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.632 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में

Online Proposal No- FP/UK/ROAD/146449/2021

संदर्भ:-



भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र संख्या- 8B/UCP/06/97/2025/FC, दिनांक-23.12.2025।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण जनपद चमोली में सिमली से नाखोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.632 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में निम्नलिखित 7 बिन्दुओं पर सूचना चाही गयी थी, जिसका बिन्दुवार निराकरण कर प्रयोक्ता एजेंसी, लोक निर्माण विभाग थराली द्वारा अपने पत्रांक-259/36सी०, दिनांक-13.02.2026 से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, इस वन प्रभाग से वांछित सूचना तैयार कर निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:-



क्र०सं०	चाही गयी सूचना	निराकरण आख्या
1	As per the DSS analysis of the diversion area, the area has been calculated as 1.53 ha insted of the proposed 1.632 ha. Clarification in this regard is required.	इस क्रम में सादर अवगत कराना है कि मार्ग की कुल लम्बाई 2.15 कि०मी० है। जिसमें मात्र 1.940 कि०मी० ही है(1.358 है० वन भूमि मोटर मार्ग में तथा 0.274 है० वन भूमि मक डम्पिंग में प्रभावित हो रही है।) एवं 0.210 कि०मी० मोटर मार्ग नाप भूमि से गुजर रहा है। स्वीकृत संरेखण के अनुसार के०एम०एल० में 1.632 है० प्रदर्शित कर दिया गया है।
2	A complete KML file of the proposed road alignment, clearly indicate both forest land and non-forest land, is required to be submitted.	के०एम०एल० में प्रस्तावित संरेखण में वन भूमि एवं गैर वन भूमि को भिन्न भिन्न रंग से प्रशित कर दिया गया है।
3	It is seen that only one alternative alignment has been provided. The User Agency shall therefore submit at least two alternative alignments along with their comparative statement.	प्रस्तावित संरेखण के साथ दो वैकल्पिक संरेखण की के०एम०एल० एवं तुलनात्मक विवरण संलग्न कर प्रेषित कर दिया गया है। <u>संलग्नक-०१</u>
4	It is observed that the muck dumping sites have been proposed exclusively on forest land In this regard, a detailed report from the DFO concerned, examining the feasibility of identifying muck dumping sites on non-forest land, shall be submitted.	प्रस्तावित मक डम्पिंग स्थलों का निरीक्षण किया गया है जिसकी आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। निरीक्षण में पाया गया है कि उक्त ग्राम में भूमिधरों पर पास नाप भूमि काफी कम है जिस कारण मक डम्पिंग स्थलों को वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है। <u>संलग्नक-०३</u>
5	Further, the muck dumping areas are not properly marked in the KML file. A revised KML file clearly indicating the muck dumping sites is required.	के०एम०एल० में मलवा निस्तारण स्थलों को प्रदर्शित कर दिया गया है।
6	Before taking over the compensatory afforestation (CA) land, the State Forest Department shall ensure that the CA has properly fenced by the User Agency. The User Agency shall also submit an undertaking to this effect.	प्रमाणपत्र संलग्न कर दिया गया है। <u>संलग्नक-०२</u>
7	The suitability certificate for the proposed CA land has not been submitted. It is requested to submit the site suitability certificate of CA land.	पूर्व से ही प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।

अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा उपरोक्त चाही गयी सूचनाओं का बिन्दुवार निराकरण कर इस अनुरोध से प्रेषित किया जा रहा है कि आप अपन स्तर से प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।
संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
वद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।


पत्रांक: 504A /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अधिशारी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग थराली को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
वद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।




कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली



OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI

email :- pwdtharali@gmail.com

पत्रांक 259 / 36सी०
सेवा में,

दिनांक 13 / 02 / 2026

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय:- जनपद चमोली में सिमली से नाखोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.632 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग, थराली को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या - FP/UK/ROAD/146449/2021)

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या 8बी/यू०सी०पी०/०6/97/2025/एफ०सी० दिनांक - 23/12/2025।


महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र में 7 बिन्दुओं पर सूचना चाही गयी थी, जो निम्नवत हैं।

क्र.सं.	चाही जा रही सूचना।	प्रस्तुत सूचना (आपत्तियों का निराकरण)
1	As per the DSS analysis of the diversion area, the area has been calculated as 1.53 ha instead of the proposed 1.632 ha. Clarification in this regard is required.	इस कम सादर अवगत कराना है कि मार्ग कि कुल लं० 2.15 किमी० है। जिसमें मात्र 1.940 किमी० (1.358 है० वन भूमि मोटर मार्ग में प्रभावित तथा 0.274 है० मक डिस्पोजल में प्रभावित वन भूमि) में ही वन भूमि है एवं 0.210 किमी० में नाप भूमि प्रभावित है। स्वीकृत समरेखण के अनुसार के०एम०एल० फाईल में 1.632 प्रदर्शित कर दिया गया है।
2	A complete KML file of the proposed road alignment, clearly indicating both forest land and non-forest land, is required to be submitted.	के०एम०एल० फाईल में प्रस्तावित समरेखण में वन भूमि एवं गैर वन भूमि को प्रदर्शित कर दिया गया है।
3	It is seen that only one alternative alignment has been provided. The User Agency shall therefore submit at least two alternative alignment along with their comparative statement.	प्रस्तावित समरेखण के साथ दो वैकल्पिक समरेखण के०एम०एल० फाईल में प्रदर्शित कर दिया गया है। तथा तुलनात्मक विवरण संलग्न कर दिया गया है।
4	It is observed that muck dumping sites have been proposed exclusively on forest land. in this regard, a detailed report from DFO concerned, examining the feasibility of identifying muck dumping sites on non-forest land, shall be submitted.	आपके स्तर से होना है।

5	Further, the muck dumping area are not properly marked in the KML file. A revised KML file clearly indicating the muck dumping sites is required.	के0एम0एल0 फाईल में मलवा निस्तारण क्षेत्र को प्रदर्शित कर दिया गया है।
6	Before taking over the Compensatory Afforestation (CA) land, the State Forest Department shall ensure that the CA area has been properly fenced by the User Agency. The User Agency shall also submit an undertaking to this effect.	प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
7	The suitability certificate for the proposed CA land has not been submitted. It is requested to submit the site suitability certificate of CA land.	पुर्व से ही प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।


अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


अधिशाली अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0
थराली

पत्रांक /36सी0

/दिनांकित।

प्रतिलिपी:- सहायक अभियन्ता नि0ख0, लो0नि0वि0 थराली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपी:- कनिष्ठ अभियन्ता नि0ख0, लो0नि0वि0 थराली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिशाली अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0
थराली

तुलनात्मक विवरण

११
॥

कार्य का नाम :- जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र धराली के अन्तर्गत सिमली से नाखोली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

क्र०सं	मर का नाम	संरक्षण सं०-1	संरक्षण सं०-2	संरक्षण सं०-3
1	मुख्य विशेषताय एवं विवरण	मार्ग पक्के भागों से गुजरता है तथा मार्ग में वन सम्पदा न्यूनतम मात्रा में है। मार्ग के निर्मित होने पर इस क्षेत्र के गमवासियों को यातायात की सुविधा एवं पर्यटन में वृद्धि होगी।	मार्ग पक्के भागों से गुजरता है तथा मार्ग में वन सम्पदा न्यूनतम मात्रा में है। मार्ग के निर्मित होने पर इस क्षेत्र के गमवासियों को यातायात की सुविधा एवं पर्यटन में वृद्धि होगी।	मार्ग पक्के भागों से गुजरता है तथा मार्ग में वन सम्पदा न्यूनतम मात्रा में है। मार्ग के निर्मित होने पर इस क्षेत्र के गमवासियों को यातायात की सुविधा एवं पर्यटन में वृद्धि होगी।
2	प्रस्तावित दृष्टिकोण से संरक्षण की लम्बाई	2.15 कि०मी०	2.30 कि०मी०	2.714 कि०मी०
3	वर्तमान यातायात के साधन	पैदल मार्ग एवं खच्चर मार्ग।	पैदल मार्ग एवं खच्चर मार्ग।	पैदल मार्ग एवं खच्चर मार्ग।
1	वन भूमि	-	-	-
2	कृषि योग्य भूमि	1.94 कि०मी०	1.78 कि०मी०	2.00 कि०मी०
3	सूखे प्रकाशित भूमि	0.21 कि०मी०	0.54 कि०मी०	0.714 कि०मी०
4	भू-सखलन	2.15 कि०मी०	2.00 कि०मी०	1.90 कि०मी०
5	भूमि की संरचना	शून्य	450मी०	शून्य
6	वनस्थिति	कठोर चट्टान व मिट्टी	कठोर चट्टान व मिट्टी	कठोर चट्टान व मिट्टी
7	मार्ग का ढलान	कृषि योग्य भूमि पर मुख्यतः स्थानीय फल, गेहूँ, धान, दालें आदि होती है। वन भूमि में बाज के वृक्ष एवं झाड़ियां हैं।	कृषि योग्य भूमि पर मुख्यतः स्थानीय फल, गेहूँ, धान, दालें आदि होती है। वन भूमि में बाज अधिक मात्रा में है।	कृषि योग्य भूमि पर मुख्यतः स्थानीय फल, गेहूँ, धान, दालें आदि होती है। वन भूमि में बाज के अधिक वृक्ष एवं झाड़ियां हैं।
8	अनुपस्थ बाल	1:20, एवं 1:24	1:20, एवं 1:18	1:18, एवं 1:17
9	सामान्य ढाल	शून्य	शून्य	शून्य
1-	सामान्य ढाल	सामान्य	सामान्य	सामान्य
2-	तीव्र ढाल	1:20	1:18	1:17
10	कठोर चट्टान की लम्बाई	60:	60:	60:
1-	कामल चट्टान की लम्बाई	40:	40:	40:
2-	अस्थिर भूमि की लम्बाई	शून्य	50मी०	100मी०
12	साधन - लकड़ी	उपलब्ध है।	उपलब्ध है।	उपलब्ध है।
1-	पत्थर	उपलब्ध है।	उपलब्ध है।	उपलब्ध है।
2-	स्थानीय मजदूर	50: स्थानीय 50: बाहरी	50: स्थानीय 50: बाहरी	50: स्थानीय 50: बाहरी

२०१५.६

(Handwritten Signature)

आदेशासी अभियन्ता
निर्माण खाण्ड लो०नि०वि०
धराली (चमोली)

1	2	3	4	5
14	पानी का निकास	-	-	-
क	छोटा पुलिया	10 स्क्पर	14 स्क्पर	15 स्क्पर
ख	कुल संख्या	10	14	15
ग	एच0पी0 बैण्ड	4.00	5.00	5.00
घ	बड़े पुल	1नं0 (48मी0)	1नं0 (54मी0)	1नं0 (60मी0)
ड	कुल संख्या	1	1	-
	विस्तार	-	-	-
	वर्शा व जलवायु की दबा	वर्शा औसत जलवायु गर्म	वर्शा औसत जलवायु गर्म	वर्शा औसत जलवायु गर्म
15	लाभान्वित ग्रामों की संख्या	सिमली, नाखोली	सिमली, नाखोली	सिमली, नाखोली
16	वर्तमान मोटर मार्ग के निर्माणाधीन मोटर मार्ग का सम्बन्ध	सिमली सणकोट मोटर मार्ग	सिमली सणकोट मोटर मार्ग	सिमली सणकोट मोटर मार्ग
17	अनुमानित लागत	38.40लाख	42.60लाख	45.32लाख
18	कृषि एवं फल की दृष्टि	इस क्षेत्र की मुख्य कृषि सम्पदा जैसे गेहूँ, धान, माल्टा, नीबू, आलू, दालें आदि स्थानीय उत्पादन को बाजार नारायणबगड़ पहुँचने में सुविधा मिलेगी।	इस क्षेत्र की मुख्य कृषि सम्पदा जैसे गेहूँ, धान, माल्टा, नीबू, आलू, दालें आदि स्थानीय उत्पादन को बाजार नारायणबगड़ पहुँचने में सुविधा मिलेगी।	इस क्षेत्र की मुख्य कृषि सम्पदा जैसे गेहूँ, धान, माल्टा, नीबू, आलू, दालें आदि स्थानीय उत्पादन को बाजार नारायणबगड़ पहुँचने में सुविधा मिलेगी।
19	वन सम्पदा का उपयोग	जड़ी-बूटी व वन सम्पदाओं का से क्षेत्रीय जनता लाभान्वित होगी।	जड़ी-बूटी व वन सम्पदाओं का निर्यात होने से क्षेत्रीय जनता लाभान्वित होगी।	जड़ी-बूटी व वन सम्पदाओं का निर्यात से क्षेत्रीय जनता लाभान्वित होगी।
20	खनिज एवं अन्य सम्पदा का उपयोग	उपलब्ध खनिजों का निर्यात होने से क्षेत्रीय जनता लाभान्वित होगी।	उपलब्ध खनिजों का निर्यात होने से क्षेत्रीय जनता लाभान्वित होगी।	उपलब्ध खनिजों का निर्यात होने से क्षेत्रीय जनता लाभान्वित होगी।
21	1- लाभ	मार्ग के निर्माण से उपरोक्त वर्णित ग्राम लाभान्वित होगा तथा जनता आर्थिक सामाजिक तथा वैश्विक रूप से लाभान्वित होगी।	मार्ग के निर्माण से उपरोक्त वर्णित ग्राम लाभान्वित होगा तथा जनता आर्थिक सामाजिक तथा वैश्विक रूप से लाभान्वित होगी।	मार्ग के निर्माण से उपरोक्त वर्णित ग्राम लाभान्वित होगा तथा जनता आर्थिक सामाजिक तथा वैश्विक रूप से लाभान्वित होगी।
	2-हानि	नाप भूमि कम होने के कारण तथा गांववासियों के इस संरक्षण से सहमत होने के कारण यह संरक्षण उपयुक्त है।	नाप भूमि ज्यादा होने के कारण तथा गांववासियों के इस संरक्षण से सहमत न होने के कारण यह संरक्षण उपयुक्त नहीं है।	नाप भूमि तथा वन भूमि ज्यादा होने के कारण एवं गांववासियों के इस संरक्षण से सहमत न होने के कारण यह संरक्षण उपयुक्त नहीं है।

कनिष्ठ अभियन्ता
नि0ख0लो0नि0वि0, थराली


सहायक अभियन्ता
नि0ख0लो0नि0वि0, थराली

अधिसासी अभियन्ता
नि0ख0लो0नि0वि0, थराली

प्रमाण पत्र

कार्य का नाम :- जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत सिमली से नाखोली मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 0.310 है० सिविल, 1.322 है० वन पंचायत, कुल 1.632 है० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तांतरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल भूमि पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा क्षेत्र की समुचित बाढ़बंदी अधिग्रहण से पूर्व कर दी जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता
नि०ख०लो०नि०वि०, थराली



सहायक अभियन्ता
नि०ख०लो०नि०वि०, थराली



अधिशासी अभियन्ता
नि०ख०लो०नि०वि०, थराली



॥ कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी पश्चिमी पिण्डर राजि नारायणबगड़ ॥

पत्रांक 1076 / 12

नारायणबगड़,

दिनांक, 20.04 / 2026

सेवा में,

उप वन सरक्षक,
चद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय:- जनपद चमोली में सिमली से नाखौली तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.632 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।


सन्दर्भ:- आपका पत्रांक-4895 / 12-1 दिनांक-16.04.2026.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन करना है कि जनपद चमोली में सिमली से नाखौली तक मोटर मार्ग के निर्माण 1.632 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव में प्रस्तावित मोटर मार्ग के बिन्दु सं०-4 में चाही गई सूचना के सम्बन्ध में दिनांक-18.04.2026 को याचक विभाग के साथ अनुभाग अधिकारी फारकोट के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया, संयुक्त निरीक्षण के समय यह देखा गया कि मक डम्पिंग स्थल निम्न क्षेत्रों में चयनित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	क्षेत्र का नाम	मक डम्पिंग हेतु उपलब्ध क्षेत्र (है०मे)	जी०पी०एस० रीडिंग	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	वन पचायत सिमली	0.074	30° 09' 58.83" N 79° 25' 11.84" E	क्षेत्र वृक्ष विहिन है।
2	वन पचायत सिमली	0.100	30° 09' 53.60" N 79° 25' 16.40" E	क्षेत्र वृक्ष विहिन है।
3	सिविल वन नाखौली	0.100	30° 09' 37.63" N 79° 25' 08.52" E	क्षेत्र वृक्ष विहिन है।
	योग:-	0.274		

अतः जांच ऑख्या महोदय की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

वन क्षेत्राधिकारी
पश्चिमी पिण्डर राजि
नारायणबगड़।

1/2026
प्रस्ताव

• श्रीमान वन क्षेत्राधिकारी महोदय
पश्चिमी पिण्डु राप्ती नारायण कण्ड,
विषय:- जनपद चमोली में सिमली से नारकोली तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु- 1.632 हे०
वन भूमि का जीव वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरण
प्रस्ताव के सम्बन्ध में,
सन्दर्भ:- कार्यालय प्रसंग:- 983/12 दि०-22/3/26 एवं पत्रांक-1069/12 नारायण कण्ड
दि०-16/4/2026,
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में प्रस्ताव द्वारा मायक विभाग से सम्बन्ध
स्थापित कर आगु दि०-18/4/2026 को वन पंचायत सिमली के अन्तर्गत पड़ने वाले मोटर
मार्ग का स्वामीय निश्चय किया गया,

श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय पत्रांक:- 4895/12-1 दि०-16/4/2026 के
अनुपालन में संलग्न पत्र में (7) बिन्दुओं में से बिन्दु संख्या (4) में उपरोक्त चर्ची सूचना
के उद्देश्य से प्रस्तावित मोटर मार्ग एवं डम्पिंग स्थलों का निश्चय किया गया डम्पिंग स्थलों
का भूकल जांच निश्चय कर जांच आरव्या प्रेषित,

- 1:- सिमली से नारकोली तक मोटर मार्ग लम्बाई:- 2.150 कि० मी० के अन्तर्गत मलवा
निस्सारण क्षेत्र न होने के कारण डम्पिंग स्थलों का चयन किया गया है,
- 2:- सिमली से नारकोली तक मोटर मार्ग के समापस्थ कारसाकारों की नाप सूची होने
के कारण अन्यत्र मलवा निस्सारण क्षेत्र न होने के कारण वन पंचायत के रिक्त केंद्र भूमि
स्थानों को डम्पिंग स्थलों को चयन हेतु चयनित किया गया है, डम्पिंग स्थलों के
कोर्टेयाफस संलग्न मप ६. P. 5 सिडिंग जांच आरव्या प्रेषित है।


अतः महोदय की सेवा में उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों को जांच आरव्या
प्रेषित है।

- संलग्न:- 1- प्रोका स्वलय संयुक्त जांच रिपोर्ट,
2- कोर्टे ग्राफस,
3- K.M.L. फाईल की प्रती,



जयपाल सिंह भण्डारी
उप वन क्षेत्राधिकारी
फारकोट अनु० अधिकारी
दिनांक 18/4/26

- 1- मक डम्पिंग क्षेत्र को = 0.074 हे० वन पंचायत सिमली
O.P. 5 सिडिंग - 30° 09' 58.83" N
79° 25' 11.84" E
- 2- मक डम्पिंग क्षेत्र को = 0.100 हे० वन पंचायत सिमली
30° 09' 53.6" N
79° 25' 16.4" E
- 3- मक डम्पिंग क्षेत्र को = 0.108 हे० नारकोली सिमली
30° 09' 37.63" N
79° 25' 08.52" E





जयपाल सिंह भण्डारी
उप वन क्षेत्राधिकारी
फारकोट अनु० अधिकारी
दिनांक

पत्र मांका निरीक्षण

आप दिनांक - 18/04/2025 को सिमली से नजदीकी सड़क
 मोटर मार्ग के निर्माण वन क्षति विलानाकरण मोटर
 मार्ग के लंबे 2.150 किमी के अंतर्गत वन विभाग
 एवं लीड निर्माण विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया
 गया, जिससे अंतर्गत मोटर मार्ग के लंबे 2.150 किमी के
 अंतर्गत वन क्षति विलाना निस्कारण क्षेत्र मोटर मार्ग
 0. से 2.150 किमी के अंतर्गत अन्धरा जलवा
 निस्कारण क्षेत्र उपलब्ध न होने के कारण एवं
 मास्टरकार्ट की माप क्षति होने के कारण ^(क्षति-वनपंचायत) निलंब
 निस्कारण क्षेत्र चयनित किए गए हैं।


 18/04/25
 Awin PWP


 18/04/25
 जयपाल सिंह
 उपकार्य सहायक
 वन अधिकारी


 जयपाल सिंह मण्डारी
 उप वन क्षेत्राधिकारी
 फारकोट अनु० अधिकारी
 दिनांक 18/04/25.